प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपाल विभाग,
इलाहाबाद/ गोरखपुर/ महाराजगंज/ बिजनौर/ सम्भल/ बरेली/ अमरोहा/ मेरठ/ एटा/ बस्ती/ मिर्जापुर/ सोनभद्र/ जालौन/ बहराइच/ मैनपुरी/ फतेहपुर/ कानपुर-नगर/ हमीरपु/ आजमगढ़/ मऊ/ बलिया/ फैजाबाद/ अमेठी/ सुल्तानपुर/ पीलीभीत/ बलरामपुर/ प्रतापगढ़/ कुशीनगर/ चन्दौली/ गाजीपुर/ वाराणसी/ गोण्डा/ अम्बेडकर-नगर/ महामायानगर/ फर्रूखाबाद/ औरैया/ लखीमीमपुर-खीरी/ सीतापुर/ श्रावस्ती / सिद्धार्थनगर/ फिरोजाबाद/ भदोही/ झाँसी/ इटावा/ मु0नगर/ मेरठ/ उन्नाव/ लखनऊ एवं आगरा।

पत्रॉक 1227-/सा0-1/एक्स-120(188)/2015-16, दिनॉक:23 फरवरी, 2016

विषय: **पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि को व्यय करने हेतु दिशा-निर्देशों के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-107/सैतीस-2-2016-1(39)/07, दिनॉक 04 फरवरी, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको सम्बोधित तथा निदेशालय को पृष्ठांकित है। जिसके द्वारा प्रदेश के 48 जनपदों के 216 पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-17000.0हजार की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। आपके जनपद में निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे है, जो निम्न प्रकार है:-

1. शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनॉक 25 नवम्बर, 2011 मे दिये निर्देशों तथा शासनादेश दिनॉक 04 फरवरी, 2016 में दिये गये निर्देशानुसार धनराशि व्यय करने से पूर्व अनुरक्षण कार्य हेतु निर्मित आगणन पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में अधोहस्ताक्षरी से आगणन पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि आहरण कर व्यय की जायेगी। इसका उल्लंघन करना वित्तीय अनियमितता होगी जिस के लिए पूर्ण उत्तरदायी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी होंगे।
2. शासनदेश में दिये गये नियमों/शर्तो का अक्षरतः अनुपालन किया जायेगा।
3. अनुरक्षण कार्य **कार्यदायी संस्था अथवा कार्यदायी फर्मो** के माध्यम से ही कराया जायेगा।
4. कार्यदायी संस्था अथवा फर्म द्वारा जब तक कार्य पूर्ण न करा दें। तब तक उसका भुगतान किसी भी दशा में न किया जाय।
5. आवंटित धनराशि से जनपद में जिन पशु चिकित्सालयों पर बिद्युत का आभाव है। उनका बिद्युतीकरण करने के उपरान्त जो धनराशि अवशेष बचेगी उससे अन्य संस्थाओं का सुदृढीकरण कराया जायेगा।
6. **जनपद में मा0 मुख्यमंत्री सन्दर्भ/ मा0पशुधन मंत्री जी सन्दर्भ/ विधान सभा प्रश्न/ विधान परिषद प्रश्न/ आश्वाश्न समिति सन्दर्भ/ सॉसदों/ विधायकों की मॉग के अनुसार प्रकरणों पर प्राथमिकता के आधार पर सुढढ़ीकरण का कार्य कराया जायेगा।**
7. संस्थाओं पर होने वाले कार्यो की गुणवत्ता देखने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के अधिकारी का होगा।
8. अनुरक्षण/सुदृढ़ीकरण का कार्य उन्हीं संस्थाओं पर कराया जायेगा जिनके लिए पूर्व वर्षो में धनराशि की मॉग की गई है।

भवदीय

(राजेश बाबू)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास